दिनांक	आज्ञा पत्र	
3.1.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत ~~[illegible]~~ बहस दिनांक 14.2.24 को पेश हो।	
14/2/24	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.4.24 को पेश हों।	
3-4-24	पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3.7.24 को पेश हों।	
3.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील अपीलांट ने बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। बाबत बहस दिनांक 31.7.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
Noted [illegible]		
31.7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बाबत बहस दिनांक 14.8.24 को पेश हो।	भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
14.8.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली बाबत आदेश दिनांक 23.8.24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
23.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 19/2021

1 मनीराम पुत्र स्व. बालूराम उम्र 65 साल जाति जाट निवासी ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। मो. नं. 9660159644

अपीलांट

बनाम

1 मालू खां उर्फ पीरू खां पुत्र लाल खां जाति कायमखानी निवासी ग्राम पबाना तहसील नवलगढ़ जिला सीकर राज.।
2 छोटी देवी बेवा स्व. शिवप्रसाद
3 मनोज पुत्र स्व. शिवप्रसाद
4 राजेन्द्र पुत्र स्व. शिवप्रसाद
5 सुमित्रा पुत्री स्व. शिवप्रसाद
6 गोपीचन्द पुत्र बालूराम
7 देबूराम पुत्र बालूराम
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 पटवारी, पटवार हल्का बलारा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
10 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 08.01.2021 बउनवानी मालू खां बनाम शिवप्रसाद आदि मुकदमा नम्बर 133/2010 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीना आएएस द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की अपील

उपस्थिति :

1. श्री दीनानाथ शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रमोद मोदी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 133/2010 में पारित निर्णय दिनांक 08.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा संख्या 133/2010 खसरा नम्बर 166/1 रकबा 0.82 हैक्टेयर वाके ग्राम सांखू तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर का अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 8 के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता दिनांक 27.07.2010 को विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के यहां बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जिसका जवाब अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह पेश किया गया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166/1 पूर्व में खसरा नम्बर 166 रकबा 4.21 हैक्टेयर का भाग थी, जिसके कालांतर में तीन खसरा नम्बर 166/1 रकबा 0.82 हैक्टेयर, 166/2 रकबा 2.26 हैक्टेयर, 166/3 रकबा 1.13 हैक्टेयर हो गये। जो अपीलान्ट के पूर्वज खेता उर्फ खेमला पुत्र रूड़ा के नाम से दर्ज थी जो खेत उर्फ खेमला के पुत्र बालूराम को प्राप्त हो गई तथा बालूराम के फोत होने के बाद उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 174 के द्वारा बालूराम के वारिसान अपीलान्ट व अन्य वारिसान के नाम दर्ज हो गईं। जिसमें वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार से संबंध सरोकार कब्जा काश्त नहीं थी। खसरा नम्बर 166 के भाग 166/2 व 166/3 के सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाने से प्रस्तुत वाद कुसंयोजन पक्षकारान से दोष से भी ग्रसित था। प्रस्तुत वाद के पूर्व में भी अपीलान्ट द्वारा एक राजस्व वाद संख्या 23/2010 विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के यहां बउनवान मनीराम बनाम मालू खां आदि लम्बित था। विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त दोनों वादों को समेकित कर एक साथ निर्णय पारित किया गया है जिसमें वाद संख्या 23/2010 बाबत बंटवारा व उद्घोषणा को खारिज करते हुए समेकित वाद संख्या 133/2010 को गलत रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया गया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2021 की में समेकित वाद संख्या 133/2010 बउनवान मालू खां बनाम शिवप्रसाद आदि से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में प्रदर्श 1 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/1 सम्वत 2060 से 2063, प्रदर्श 2 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 3 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/2, प्रदर्श 4 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/3 तथा प्रदर्श डी 1 नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

166, प्रदर्श डी 2 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/1 सम्वत 2015 से 2018, प्रदर्श डी 3 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/1 सम्वत 2019 से 2022, प्रदर्श डी 4 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/1 सम्वत 2023 से 2026, प्रदर्श डी 5 जमाबन्दी खसरा नम्बर 166/1 सम्वत 2017 से 2030 जो खेमला उर्फ खेता पुत्र रूड़ा के नाम से दर्ज है, प्रदर्श डी 6 जमाबंदी खसरा नम्बर 166/1, 166/2, 166/3 सम्वत 2060 से 2063 जिसमें खसरा नम्बर 166/1 बालूराम के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 एवं अपीलान्ट के नाम से दर्ज है इसी प्रकार खसरा नम्बर 166/2 मरेम, और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज है तथा खसरा नम्बर 166/3 जो चिमनसिंह पुत्र हणूताराम के नाम से दर्ज है के नाम के दस्तावेजात पेश किये गये है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 एवं अपीलान्ट के ही बयानात लिये गये है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली के साथ पेश उक्त प्रदर्श का अपने मनमाने ढंग से आकलन कर केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के बयानों पर विश्वास करते हुए जो आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित की गई है वह स्थिर रहने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रदर्श 1 से 4 प्रदर्श डी 1 से डी 6 से यह बखूबी साबित होता है कि खसरा नम्बर 166/1 की खातेदारी अपीलान्ट के पूर्वज खेमला उर्फ खेता के नाम दर्ज थी जो विरासतन अपीलान्ट के पिता बालूराम को प्राप्त हुई तथा बालूराम से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 को प्राप्त हुई और उक्त खातेदारी के अनुसार ही उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166/1 पर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 7 का कब्जा काश्त साबित है। फिर भी विचारण न्यायालय में राजस्व रिकार्ड की अनदेखी कर केवल वादी मौखिक साक्ष्य को गलत आधार मानते हुए आलौच्य निर्णय दिनांक 08.01.2021 में वाद संख्या 133/2010 को डिक्री कर बहुत ही गम्भीर कानूनी भूल की है। जो निर्णय व डिक्री स्थिर रहने योग्य नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी 166/1 जो कभी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे व काश्त में नही रही और ना ही पत्रावली पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का उक्त पत्रावली पर कब्जा काश्त संबंधी कोई दस्तावेजी रिकार्ड उपलब्ध था। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 को निर्णित करते समय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 166 तथा प्रदर्श डी 2 नकल जमाबन्दी संवत 2015 से 2018 का अवलम्बन लिया है जिससे कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि खसरा नम्बर 166/1 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के किसी पूर्वज या उसके कब्जे काश्त व खातेदारी में रही हो, फिर भी विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेजों को अनदेखा कर उनका गलत मुल्यांकन कर तनकी संख्या 2 का निस्तारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में किया है। अपीलान्ट द्वारा अपील निर्णय व डिक्री दिनांक 08.01.2021 में समेकित दो दावों में से दावा संख्या 23/2010 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील पेश करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा संख्या 133/2010 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी. 1 ता पी.4 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 166/1 अथवा उसके भाग पर भौतिक कब्जाकाश्त नहीं है, वर्तमान खातेदारी प्रदर्शनी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सगे भाई है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रश्नगत आराजी में किसी भाग से अपना कोई संबंध होना प्रकट नहीं किया है। वादी द्वारा स्वयं के बयान के अलावा कोई स्ववंत्र गवाह भी पेश नहीं किये है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166/1,166/2 व 166/3 की नक्शे में पृथक–पृथक तरमीम नहीं है, प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से डी 6 दावा संख्या 133/2010 उनवानी मालूखां उर्फ पीरूखां बनाम शिवप्रसाद आदि तो इस दावे के साथ समेकित किया हुआ है, उसमें शामिल है। जिसके आधार पर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 166 कुल भूमि एक है। प्रदर्श डी 2 के अनुसार नकल जमाबंदी संवत 2015–18 खातेदारी खेमला पुत्र रुडा कोम जाट सा.देह के नाम दर्ज है, खुदकाश्त लालूखां की दर्ज है , जो कि मालूखां उर्फ पीरूखां का पिता है। सशपथ बयान मालूखां उर्फ पीरूखां के अनुसार खेमला उर्फ खेमा के पिता का नाम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रुडाराम था जो खेमला नाऔलाद स्वर्गवासी हो गया था। उक्त खेमला उर्फ खेमा की दर्ज उपकाश्त के आधार पर मनीराम के दादा खेता ने अपना नाम अंकित करवा लिया लेकिन खेताराम उसके पुत्र बालूराम और बालूराम के पुत्रगण मनीराम आदि का इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा। खसरा नमबर 166/1 का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी. 1 ता पी.4 के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 166/1 अथवा उसके भाग पर भौतिक कब्जाकाश्त नहीं है, वर्तमान खातेदारी प्रदर्शनी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सगे भाई है लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 द्वारा प्रश्नगत आराजी में किसी भाग से अपना कोई संबंध होना प्रकट नहीं किया है। वादी द्वारा स्वयं के बयान के अलावा कोई स्ववंत्र गवाह भी पेश नहीं किये है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 166/1,166/2 व 166/3 की नक्शे में पृथक–पृथक तरमीम नहीं है, प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी 1 से डी 6 दावा संख्या 133/2010 उनवानी मालूखां उर्फ पीरूखां बनाम शिवप्रसाद आदि तो इस दावे के साथ समेकित किया हुआ है, उसमें शामिल है। जिसके आधार पर मुताबिक नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 166 कुल भूमि एक है। प्रदर्श डी 2 के अनुसार नकल जमाबंदी संवत 2015–18 खातेदारी खेमला पुत्र रुडा कोम जाट सा.देह के नाम दर्ज है, खुदकाश्त लालूखां की दर्ज है , जो कि मालूखां उर्फ पीरूखां का पिता है। सशपथ बयान मालूखां उर्फ पीरूखां के अनुसार खेमला उर्फ खेमा के पिता का नाम रुडाराम था जो खेमला नाऔलाद स्वर्गवासी हो गया था। उक्त खेमला उर्फ खेमा की दर्ज उपकाश्त के आधार पर मनीराम के दादा खेता ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपना नाम अंकित करवा लिया लेकिन खेताराम उसके पुत्र बालूराम और बालूराम के पुत्रगण मनीराम आदि का इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा। खसरा नमबर 166/1 का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

24

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर